सूचना का अधिकार/अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

क्रमांकः– प0 17(1) प्रसु/ आरटीआई/2010 जयपुर, दिनांक 08-06-2010

1 समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
.....विभाग

2 समस्त संभागीय आयुक्त
.....संभाग

3 समस्त जिला कलक्टर

जिला .....

विषयः– बजट घोषणा वर्ष 2010–11 के बिन्दू सं0 4(iii) में " प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार को और प्रभावी ढंग से लागू करवाने बाबत्।

बजट घोषणा वर्ष 2010–11 के बिन्दू सं0 4(iii) में "प्रशासन में परदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार को और प्रभावी ढंग से लागू करवाने हेतु" निम्नानुसार बिन्दुओं की शीघ्र एवं प्रभावी क्रियान्विति किया जाना आवश्यक है:–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन तत्परता, प्रभावी ढंग से, जनहित में पूर्ण जन सुविधा के साथ, हो रहा है या नहीं, की समीक्षा हेतु शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर, प्रत्येक विभाग में नियुक्त लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी के अतिरिक्त एक "समर्पित सैल" का गठन भी किया जाना है। सैल में कम से कम तीन अधिकारी होने चाहिये सैल के द्वारा शासन स्तर, विभाग स्तर, पर पृथक–पृथक से सूचना का अधिकार अधिनियम की क्रियान्विति का निरीक्षण एवं समीक्षा की जाकर प्रशासनिक सुधार विभाग को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजी जानी है।

प्रशासनिक सुधार विभाग स्तर पर भी निम्न अधिकारियों का एक समीक्षक एवं निरीक्षण सैल गठित किया जाता है:–

1. शासन उप सचिव – प्रथम
2. शासन उप सचिव – आरटीआई
3. अनुभागाधिकारी – आरटीआई

यह सैल शासन स्तर पर, विभागीय स्तर पर, जिला कलक्ट्रेट और जिला कार्यालयों के स्तर पर सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के कार्यों का समय–समय पर निरीक्षण कर समीक्षा करेगा। यह एर्यवेक्षक सैल अपीलीय प्रकरणों का भी निरीक्षण कर समीक्षा करेगा। पाई गई कमियों के साथ–साथ उनके सुधार हेतु भी विभागीय प्रतिनिधियों को सुझाव दे सकेगा।"

2. सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्य करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी, क्रियान्विति के व्यावहारिक पहलुओं और कार्य को ऑन लाईन डील किये जाने के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से एक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है। अतः आप शासन स्तर एवं विभाग स्तर के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं, उनके प्रस्ताव **दिनांक 20 जून 2010 तक प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–2) विभाग को भिजवावें।**

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) की सहधारा (ख) में वर्णित 17 बिन्दूओं की पालना कर वेबसाईट पर अद्यतन (अपडेट) किया जाना भी सूनिश्चित किया जाना है। इन बिन्दुओं की पालना के संदर्भ में विभागीय वेबसाईट्स को खोलकर जब देखा गया तो उससे स्पष्ट होता है कि विभागों द्वारा वेबसाईट को अपडेट करने पर गम्भीरता से ध्यान नही दिया गया है। उक्त बिन्दुओं के संदर्भ में विभागों की सूचनायें अधूरी, अस्पष्ट और कानून की मंशा के अनुरूप और प्रदर्शी नहीं है।

2/06

अतः वेबसाईट पर विभाग से संबंधित क्या सूचनायें उपलब्ध करवाई गई हैं, की समीक्षा आपके स्तर पर की जावे। विभाग का परिचय, गठन कार्यक्रम एवं उपलब्धियों का स्पष्ट विस्तृत व सूचनात्मक विवरण, वेबसाईट पर उपलब्ध होना चाहिए। राज कार्य में पारदर्शिता जन हित, और राज्य सरकार की नीति की पालना के लिये यह अत्यावश्यक है।

कृपया अपने अधीनस्थ विभागों – कार्यालयों को उक्तानुसार निर्देश जारी करावें व पालना करवा कर त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भिजवाया जाना भी सुनिश्चित करवायें।

(डा0 अशोक सिंघवी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त।
5. सचिव, राज्य सूचना आयोग, ओ0टी0एस0 परिसर, जयपुर।
6. निदेशक जन सम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(सत्यप्रकाश बसवाला)
शासन उप सचिव – प्रथम